



GRIHUM
HOUSING FINANCE

Apna Ghar. Apni Pehchan.

स्वीकृति पत्र

तिथि:
एप्लीकेंट:
पता:

को-एप्लीकेंट:
गारंटर:

विषय: **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के साथ आपका एप्लीकेशन

रेफरेंस: लोन अकाउंट नंबर:

प्रिय सर / मैडम,

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ("गृहम" या "लेंडर" चुनने के लिए धन्यवाद, जिसका अर्थ होगा और इसमें लोन के लिए पसंदीदा पार्टनर के रूप में इसके ट्रांसफरी, असाइन और पार्टनर को-लेंडर शामिल होंगे। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, उपरोक्त एप्लीकेशन के संदर्भ में, हमने आपको नीचे और ऊपर दिए गए नियम और शर्तों के अनुसार लोन सुविधा स्वीकृत कर दी है:

स्वीकृत राशि (₹ में)	
लोन का प्रकार	
लोन की अवधि (महीने)	
ब्याज का प्रकार	
EMI भुगतान की फ्रीक्वेंसी	
गृहम की फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर)	
मार्जिन/स्प्रेड	
ब्याज दर (% प्रति वर्ष आधार पर)	
सैंक्शन लेटर की वैधता	
इंडिकेटेड इकेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट (EMI ₹ में)	
भुगतान की देय तिथि	
प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹ में)	
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹ में)	
क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹ में)	
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹ में)	
CERSAI शुल्क	
बकाया किश्त पर ब्याज	
बकाया राशि के भुगतान में देरी के लिए दंड शुल्क	
वैप राशि (₹ में)	

Grihum Housing Finance Limited

CIN: U65922PN2004PLC208751 | ☎ 020 - 67815500 | ✉ Info@grihumhousing.com

Registered Office: 6th Floor, B-Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune – 411014

www.grihumhousing.com



GRIHUM
HOUSING FINANCE

Apna Ghar. Apni Pehchan.

भुगतान का माध्यम	
नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस और प्रशासनिक शुल्क (₹ में)	
नॉन-रिफंडेबल लॉग-इन फीस/इनिशियल मनी डिपॉजिट (आईएमडी) का भुगतान पहले से किया जाएगा (₹ में)	
बैलेंस नॉन-रिफंडेबल लॉग-इन फीस/प्रारंभिक मनी डिपॉजिट (आईएमडी) लागू होने पर (₹ में)	
नॉन-रिफंडेबल स्टाम्प ड्यूटी और डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन शुल्क	
आंशिक पेमेंट शुल्क और प्रीपेमेंट/फ़ोरक्लोज़र शुल्क (बंद होने के समय बकाया मूल राशि पर लागू)	
लोन का अंतिम उपयोग	
सुरक्षा और अतिरिक्त/कोलैटरल सुरक्षा का विवरण	

ऊपर दी गई टेबल में उल्लिखित सभी राशि और आंकड़े सांकेतिक हैं और वास्तविक तिथि और डिस्बर्समेंट की राशि, ब्याज दर में बदलाव, अगर कोई हो और पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट होने की स्थिति में देय अन्य लागू शुल्कों सहित नहीं, के आधार पर बदलाव के अधीन होंगे।

सैंक्शन की शर्तें:

भवदीय

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्वीकारोक्ति एवं स्वीकृति

हस्ताक्षर: उधारकर्ता का नाम:	हस्ताक्षर: सह-उधारकर्ता का नाम:	हस्ताक्षर: गारंटर का नाम:
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------

तिथि:

जगह:

Grihum Housing Finance Limited

CIN: U65922PN2004PLC208751 | ☎ 020 - 67815500 | ✉ Info@grihumhousing.com

Registered Office: 6th Floor, B-Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune – 411014

www.grihumhousing.com



GRIHUM
HOUSING FINANCE

Apna Ghar. Apni Pehchan.

अतिरिक्त नियम व शर्तें

1. "एप्लीकेंट" शब्द में सभी को-एप्लीकेंट और गारंटर भी शामिल होंगे, जहां भी लागू हो, सिवाय जहां संदर्भ का अर्थ हो और गृहम के सभी संदर्भ, का अर्थ होगा गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जब तक कि संदर्भ का अर्थ अन्यथा नहीं है।
2. इस सैंक्शन लेटर को अगली पत्ती पर उल्लिखित फाइनेंशियल सहायता/सुविधाएं प्रदान करने के लिए गृहम के किसी भी बाध्यकारी दायित्व को जन्म देने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि एप्लीकेंट ने समय-समय पर लेंडर द्वारा आवश्यक रूप और तरीके से लोन एग्रीमेंट, सिक््योरिटी क्रिएशन डॉक्यूमेंट और अन्य ट्रांज़ैक्शन डॉक्यूमेंट को विधिवत निष्पादित नहीं किया है।
3. यह मंजूरी शीर्षक विलेखों/दस्तावेजों की कानूनी जांच और परिश्रम के अधीन है और प्रतिभूति के रूप में और उसके द्वारा बंधक रखी जाने वाली प्रॉपर्टी के तकनीकी मूल्यांकन के अधीन है। गृहम की राय प्रॉपर्टी के शीर्षक और मूल्य की वैधता और विपणन योग्यता के बारे में स्वीकृत लोन के प्रयोजन के लिए अंतिम माना जाएगा।
4. एप्लीकेंट लेंडर द्वारा निर्धारित प्रॉपर्टी का इक्विटेबल मॉरगेज/रजिस्टर्ड मॉरगेज बनाएगा। इस लोन और/या ऐसी अन्य सिक््योरिटी का लाभ उठाने के लिए प्रस्तावित प्रॉपर्टी के पहले और विशेष मॉरगेज द्वारा लोन सुरक्षित किया जाएगा, जैसा कि गृहम को आवश्यक और स्वीकार्य लग सकता है। गृहम द्वारा आवश्यक ऐसे डॉक्यूमेंट/रिपोर्ट/साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि गृहम के साथ मॉरगेज की जाने वाली प्रॉपर्टी का एक स्पष्ट और मार्केटेबल टाइटल है। मॉरगेज करने के लिए प्रस्तावित प्रॉपर्टी के ओरिजिनल टाइटल डीड, लोन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेंट द्वारा लेंडर के पास जमा किए जाएंगे।
5. EMI शुरू होने से पहले, एप्लीकेंट को लोन के बकाया बैलेंस पर देय सर्विस ब्याज के लिए प्री-इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट (PEMI) का भुगतान करना पड़ सकता है। पुनर्भुगतान अनुसूची EMI/PEMI के मूलधन और ब्याज घटकों के बीच विवरण प्रदान करेगा और लोन के संबंध में, यह लेंडर द्वारा पहली देय तिथि से पहले उधारकर्ता को प्रदान किया जाएगा।
6. आवास इकाई के निर्माण के लिए या निर्माणाधीन आवासीय इकाई के लिए हाउसिंग लोन के मामले में, लोन के पहले डिस्बर्समेंट की तिथि के 36 महीनों के भीतर निर्माण पूरा न होने पर, एप्लीकेंट को सूचना के तहत, नॉन-हाउसिंग लोन पर लागू ब्याज दर को बढ़ाने और/या नॉन-हाउसिंग लोन पर लागू ब्याज दर को बढ़ाने का गृहम का पूर्ण अधिकार होगा।
7. जब तक स्वयं के योगदान यानी मार्जिन मनी (अर्थात गृहम द्वारा स्वीकृत आवास इकाई कम लोन की लागत) का भुगतान मान्य मार्जिन मनी रसीदों के तहत एप्लीकेंट द्वारा पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक लोन आंशिक या पूर्ण रूप से डिस्बर्स नहीं किया जाएगा।
8. मौजूदा लोन सुविधा पर टॉप-अप के मामले में, प्रस्तावित अतिरिक्त लिमिट और/या स्वीकृत शर्तों के अनुसार मौजूदा मॉरगेज को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा। गृहम ऐसी अतिरिक्त सिक््योरिटीज़ ले सकता है, जो अतिरिक्त लिमिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकती है।
9. आवेदक को पत्राचार पते में किसी भी परिवर्तन, रोजगार में परिवर्तन, कार्य की हानि, कारबार, पेशे की हानि, जैसा भी मामला ऐसे परिवर्तन/हानि के तुरंत बाद हो, देरी के कारणों, प्रॉपर्टी को नुकसान/क्षति के बारे में सूचित करना होगा, प्रॉपर्टी में जोड़/परिवर्तनों को अधिसूचित करना होगा।
10. लोन राशि निर्धारित की गई है, इस धारणा पर अन्य बातों के साथ किया गया है कि आवेदन में खरीदी जाने वाली या निर्मित निवास इकाई की लागत के अनुमान के अनुसार होगी। वास्तव में लागत कम होने की स्थिति में, गृहम लोन राशि को उपयुक्त रूप से कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. इस पत्र में या अन्य किसी बात के होते हुए भी, ऊपर बताई गई सुविधाएं पूरी तरह से गृहम के विवेकाधिकार पर उपलब्ध होंगी और गृहम द्वारा निर्दिष्ट/आवश्यक सभी औपचारिकताओं और डॉक्यूमेंटेशन के अनुपालन के अधीन होंगी। इसका पालन न करने की स्थिति में, गृहम को भुगतान की गई सभी फीस रिफंड नहीं की जाएगी।
12. लेंडर द्वारा एकत्र किए गए नॉन-रिफंडेबल लॉग-इन फीस/इनिशियल मनी डिपॉजिट (आईएमडी) केवल अंडरराइटिंग प्रोसेस के दौरान एप्लीकेंट की मृत्यु और गंभीर विकलांगता जैसी स्थिति में रिफंड योग्य है।
13. नॉन-रिफंडेबल लॉग-इन फीस/इनिशियल मनी डिपॉजिट (आईएमडी) लेंडर द्वारा एक से अधिक किशतों में लिया जा सकता है।
14. यह ऑफर लेटर रद्द और रद्द किया जाएगा और पूरी तरह से शून्य और शून्य होगा, अगर (क) उस प्रस्ताव में जिसके लिए यह लोन मंजूर किया गया है, कोई सामग्री परिवर्तन होता है या; (ख) आय से संबंधित कोई सामग्री तथ्य, या लोन के लिए प्रस्ताव या

Grihum Housing Finance Limited

CIN: U65922PN2004PLC208751 | ☎ 020 - 67815500 | ✉ Info@grihumhousing.com

Registered Office: 6th Floor, B-Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune - 411014

🌐 www.grihumhousing.com



GRIHUM
HOUSING FINANCE

Apna Ghar. Apni Pehchan.

- आवेदन के किसी अन्य सुसंगत पहलू का पुनर्भुगतान या उपयोग करने की क्षमता को रोक दिया जाता है, दबाया जाता है, छिपाया जाता है या गृहम को ज्ञात नहीं किया जाता है या; (ग) लोन आवेदन में किया गया कोई विवरण गलत या असत्य पाया गया है।
15. स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि जैसे सभी वैधानिक शुल्क या समय-समय पर लागू टैक्स एप्लीकेंट को वहन करना होगा। एप्लीकेंट समय-समय पर गृहम की वेबसाइट पर संलग्न/अपडेट किए गए शुल्कों के गृहम टैरिफ शीट-अनुसूची के तहत अधिसूचित अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है/शाखाओं में प्रदर्शित है।
 16. फ्लोटिंग रेट लोन या संयुक्त दर लोन के मामले में (एफआरआर से लिंक होने पर अवधि के दौरान), सुविधाओं पर लागू ब्याज दर डिस्बर्समेंट की तिथि/दिनों पर प्रचलित एफआरआर के अनुसार होगी। गृहम, अपने विवेकाधिकार पर, समीक्षा करेगा और, अगर आवश्यक माना जाता है, तो लोन की अवधि के दौरान किसी भी समय और समय-समय पर एफआरआर को संशोधित करेगा, अपनी आंतरिक पॉलिसी, मार्केट की स्थिति और/या लागू कानूनों और विनियमों, अगर कोई हो, के अनुसार, जिसे ऐसे संशोधन के समय उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा। ऐसे लोन के मामले में, लोन एग्रीमेंट में उल्लिखित नियम और शर्तों के अनुसार, लागू ब्याज दर को समय-समय पर ऊपर या नीचे संशोधित किया जा सकता है। फ्लोटिंग ब्याज दर को रीसेट करने पर, एप्लीकेंट को निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का विकल्प दिया जाएगा:
 - a. EMI में वृद्धि या अवधि की लंबाई या दोनों विकल्पों के संयोजन के लिए; और,
 - b. लोन की अवधि के दौरान किसी भी समय, भाग या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने के लिए लागू फोरक्लोज़र शुल्क/पूर्व भुगतान दंड.
 17. लागू एफआरआर/फ्लोटिंग ब्याज दर में किसी भी बदलाव/संशोधन के मामले में, एप्लीकेंट के पास गृहम की इंटरनल पॉलिसी के अधीन फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड दर पर स्विच ओवर करने का विकल्प होगा। हालांकि, फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड ब्याज दर में स्विच ओवर करने का ऐसा विकल्प या इसके विपरीत लोन की पूरी अवधि के दौरान दो बार से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, जो लागू शुल्कों के अधीन होगा। इसके अलावा, गृहम अपने विवेकाधिकार पर, बिज़नेस रिलेशनशिप के विटेज और लोन के पुनर्भुगतान टैक रिकॉर्ड के आधार पर ब्याज दर को पुनर्मुल्यांकन/संशोधित करने का विकल्प प्रदान कर सकता है। ब्याज दर का ऐसा स्विचिंग/रीप्राइसिंग, टैरिफ शीट में उल्लिखित स्विच फीस और अन्य शुल्कों के भुगतान, समय-समय पर गृहम की वेबसाइट पर संलग्न/अपडेट किए गए शुल्कों का अनुसूची/शाखाओं और अन्य आंतरिक दिशानिर्देशों पर प्रदर्शित होने के अधीन होगा, जिसे गृहम द्वारा अपने विवेकाधिकार पर तय किया जाएगा।
 18. गृहम आपके लोन पर प्री-EMI विकल्प को EMI विकल्प में बदल सकता है, जिसे गृहम द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित किया जाएगा और ऐसे बदलाव के संबंध में उधारकर्ता को विधिवत सूचित किया जाएगा।
 19. एप्लीकेंट लेंडर द्वारा आवश्यक सिक्योरिटी पोस्ट-डेडेड चेक (एसपीडीसी) प्रदान करेगा, जो बकाया बैलेंस या बैंक अकाउंट के भुगतान के लिए समाप्त होने पर पहले से ही भरने होंगे।
 20. EMI, प्री-EMI ब्याज का भुगतान हर महीने के 7 (सात) दिन तक किया जाता है और अगर वह दिन रविवार या पब्लिक हॉलिडे है, तो तुरंत पिछले दिन।
 21. लोन पर केवल पूरे बकाया बैलेंस के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, अगर उधारकर्ता द्वारा इस एग्रीमेंट की शर्तों (ऊपर खंड 3.8(a) में निर्दिष्ट भुगतान डिफॉल्ट को छोड़कर) के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में और जारी रहता है। ऐसा अतिरिक्त ब्याज, इस एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन की तारीख से उधारकर्ता को तब तक लागू होगा, जब तक कि ऐसा उल्लंघन लेंडर की संतुष्टि के अनुसार ठीक/सुधार नहीं किया जाता है।
 22. टॉप-अप राशि, यदि कोई हो, स्वीकृत कुल लोन-एक्सपोजर में से, मौजूदा लोन अकाउंट/प्रपोजल नंबर में मौजूदा बकाया मूलधन को समायोजित करने के बाद वितरित की जाएगी। साथ ही, सभी लोन लेखा/प्रस्ताव संख्या एक दूसरे से जुड़ी होगी और संबंधित प्रॉपर्टी-दस्तावेज तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक सभी लोन खाते/प्रस्ताव संख्या गृहम की पुस्तकों में बंद हो जाएंगे।
 23. इश्योरेंस आग्रह की विषयवस्तु है। एप्लीकेंट के पास पूरी या पार्ट-डिस्बर्सल में ली गई लोन सुविधा को कवर करने के लिए ग्रुप इश्योरेंस स्कीम (गृहम के मास्टर पॉलिसीधारक के रूप में) के तहत नामांकन करने का विकल्प है। हालांकि, एप्लीकेंट किसी भी इश्योरेंस मध्यस्थ से इश्योरेंस लेने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी उल्लंघन के मामले में, कृपया इसे nodalofficer@griumphousing.com पर रिपोर्ट करें। कृपया ध्यान दें कि अगर एप्लीकेंट इश्योरेंस कवर का लाभ उठाता है, तो उसे इश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसका भुगतान सीधे एप्लीकेंट द्वारा या गृहम के माध्यम से

Grihum Housing Finance Limited

CIN: U65922PN2004PLC208751 | ☎ 020 - 67815500 | ✉ Info@griumphousing.com

Registered Office: 6th Floor, B-Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune - 411014

🌐 www.griumphousing.com



GRIHUM
HOUSING FINANCE

Apna Ghar. Apni Pehchan.

- एप्लीकेंट के अनुरोध पर लोन राशि से प्रीमियम काटकर किया जा सकता है. सभी इश्योरेंस (लाइफ और नॉन-लाइफ दोनों) पॉलिसी इश्योरेंस सर्टिफिकेट की प्रभावी तिथि होती है.
24. इसके नियम और शर्तें लोन सुविधाओं पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होंगी और लागू सूचना के साथ परिवर्तन के अधीन होंगी.
 25. उपर्युक्त लोन उस प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया है जिसके लिए इसे आवेदन किया गया है. यदि लोन का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है या गृहम को यह आशंका होती है कि लोन को इस प्रकार का अन्य प्रयोग करने की संभावना है, तो गृहम को लोन वापस लेने और देय राशि को याद करने का अधिकार होगा.
 26. इसके द्वारा स्वीकृत लोन स्वीकार करके, एप्लीकेंट स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि उनके द्वारा लिए गए लोन के साथ-साथ उनके द्वारा लिए जाने वाले लोन का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिए किया गया है/किया जाएगा, जिनके लिए उन्हें दिया गया है और किसी भी रूप में किसी भी अवैध और/या असामाजिक और/या सट्टेबाजी के उद्देश्यों के लिए नहीं.
 27. ऊपर सूचीबद्ध सभी लोन सुविधाएं और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को भारतीय कानूनों के अनुसार शासित किया जाएगा और पुणे में न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन रहेगा.
 28. देय तिथियों पर लोन/एडवांस/सुविधा/ब्याज के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट होने के मामले में, गृहम के पास एप्लीकेंट और/या इसके पार्टनर/डायरेक्टर के नाम को डिफॉल्टर के रूप में प्रकट करने या प्रकाशित करने का निरपेक्ष अधिकार होगा और ऐसे माध्यम के माध्यम से, जैसे गृहम उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उपयुक्त समझ सकता है.
 29. इससे पहले बताए गए अनुसार सैंक्शन के नियम और शर्तों में कोई संशोधन, परिवर्तन या छूट मान्य लागू और बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कि ऐसे संशोधन, परिवर्तन या छूट को गृहम द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत नहीं किया जाता है. गृहम इलेक्ट्रॉनिक मेल सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सुविधा के नियमों और शर्तों में ऐसे किसी भी संशोधन/बदलाव या छूट के लिए किसी भी देयता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, जब तक कि यह निम्नलिखित ईमेल एड्रेस से न हो: - customercare@griumphousing.com.
 30. एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, किसी भी लोन अकाउंट को स्पेशल मेशन अकाउंट (एसएमए)/नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करना और लोन अकाउंट का अपग्रेडेशन लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुसार होगा. 30 दिनों तक की अवधि के लिए बकाया मूलधन या/और ब्याज या किसी अन्य राशि (पूरी तरह से/आंशिक रूप से) वाले लोन अकाउंट को एसएमए-0, बकाया मूलधन या/और ब्याज या 30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक की अवधि के लिए बकाया किसी अन्य राशि (पूरी तरह से/आंशिक) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक की अवधि के लिए बकाया मूलधन या/और ब्याज या किसी अन्य राशि (पूरी तरह से/आंशिक रूप से) वाले लोन अकाउंट को एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया मूलधन या/और ब्याज वाले लोन अकाउंट को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. इसके अलावा, एनपीए के रूप में वर्गीकृत लोन/उधारकर्ता को केवल तभी स्टैंडर्ड एसेट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जब पूरा मूलधन और ब्याज बकाया का भुगतान किया जाता है. यह खंड समय-समय पर RBI द्वारा जारी नियामक निर्देशों/दिशानिर्देशों के अधीन होगा. एसएमए/एनपीए और अन्य प्रावधानों के रूप में यह वर्गीकरण वर्तमान में लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है और लागू नियामक आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव के मामले में, वर्गीकरण बदली गई/संशोधित नियामक आवश्यकताओं के अनुसार होगा. एप्लीकेंट इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्हें लेंडर द्वारा अपनी स्थानीय भाषा में उदाहरण के साथ एसेट वर्गीकरण मानदंडों के साथ विधिवत रूप से समझाया गया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से उक्त एसेट वर्गीकरण मानदंडों को समझ लिया है.
 31. इस सैंक्शन लेटर को स्वीकार करके, आप कन्फर्म करते हैं कि आपने विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को अलग-अलग ब्याज दर वसूलने के लिए जोखिम के ग्रेडेशन और तर्क के लिए गृहम द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझ लिया है. इस संबंध में, कृपया ध्यान दें कि गृहम ने लोन और एडवांस के लिए ली जाने वाली ब्याज दर निर्धारित करने के लिए फंड की लागत, मार्जिन और रिस्क प्रीमियम जैसे संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर का मॉडल अपनाया है. इस उद्देश्य के लिए, गृहम निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करता है जैसे इनकम/एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, पुनर्भुगतान क्षमता, अन्य फाइनेंशियल प्रतिबद्धताएं, क्रेडिट हिस्ट्री, लोन टू वैल्यू रेशियो, सिक्योरिटी/कोलैटरल का प्रकार, लोन का उद्देश्य, नियामक पूंजी/आवश्यक प्रावधान आदि. इसके अनुसार, गृहम विभिन्न कैटेगरी में अलग-अलग ब्याज दरें ले सकता है. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया गृहम की वेबसाइट देखें.

Grihum Housing Finance Limited

CIN: U65922PN2004PLC208751 | ☎ 020 - 67815500 | ✉ Info@griumphousing.com

Registered Office: 6th Floor, B-Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune – 411014

🌐 www.griumphousing.com



GRIHUM
HOUSING FINANCE

Apna Ghar. Apni Pehchan.

32. इस लेटर को स्वीकार करना एक कन्फर्मेशन है कि, एप्लीकेंट ने उपरोक्त कंटेंट को पढ़ और समझ लिया है और यह कन्फर्म करता है कि एप्लीकेंट को कोई मुफ्त गिफ्ट/डिस्काउंट या किसी अन्य प्रतिबद्धता का वादा नहीं किया गया है, जो गृहम के साथ लोन एप्रीमेंट में डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है. यह भी पुष्टि की जाती है कि लोन राशि के संबंध में आवेदक से कोई कैश/बेयरर चेक नहीं लिया गया है.
33. एप्लीकेंट इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि उन्होंने सैंक्शन लेटर की शर्तों को पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया है. एप्लीकेंट आगे कन्फर्म करता है कि लेंडर ने उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में सैंक्शन लेटर की शर्तों को समझाया है, और उन्होंने इसे पूरी तरह से समझ लिया है. एप्लीकेंट आगे लेंडर को प्रतिनिधित्व करते हैं और कन्फर्म करते हैं कि उन्होंने इस सैंक्शन लेटर के सभी नियम और शर्तों को पूरा किया है और समझ लिया है, जो उन्हें उन भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जिन्हें वे <https://griumphousing.com> पर गृहम की वेबसाइट पर सबसे अच्छी तरह से समझते हैं .
34. कृपया ध्यान दें कि, इस सैंक्शन लेटर में या अन्य किसी बात के होते हुए भी, लोन केवल गृहम के विवेकाधिकार पर उपलब्ध होगा और गृहम द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं और डॉक्यूमेंटेशन के अनुपालन के अधीन होगा. इसके अलावा, गृहम इस सैंक्शन लेटर को अस्वीकार करने और रद्द करने या किसी भी कारण के साथ या बिना किसी एकतरफा लोन को डाउनसाइज़ करने का निर्णय ले सकता है.
35. लोन से संबंधित सभी देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान/सेटलमेंट के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर, लेंडर उधारकर्ता द्वारा सबमिट किए गए सभी मूल प्रॉपर्टी/टाइटल डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेगा और रजिस्टर्ड शुल्क को हटाने के लिए संबंधित रजिस्ट्री के साथ कार्रवाई/फाइल शुल्क संतुष्टि फॉर्म लेगा, जहां भी लागू हो, गृहम के पक्ष में किसी अन्य शुल्क या सिक्पोरिटी ब्याज को जारी रखने के अधीन होगा. मूल प्रॉपर्टी/टाइटल डॉक्यूमेंट लेंडर की ब्रांच में या तो उधारकर्ता को दिए जाएंगे, जहां से लोन अकाउंट की सर्विस की गई थी या लेंडर की किसी अन्य ब्रांच में, जहां उक्त डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, आपकी पसंद के अनुसार.
36. अगर उधारकर्ता डिस्बर्समेंट की तिथि से नब्बे (90) दिनों के भीतर अपडेट किए गए आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट (OVD) सबमिट करने में विफल रहता है, तो लेंडर की संतुष्टि के लिए अपडेट किए गए OVD सबमिट होने तक शुल्क के स्टेटमेंट में निर्दिष्ट मासिक दंड उधारकर्ता के लोन अकाउंट पर लगाया जाएगा.
37. किसी भी देरी की स्थिति में, उधारकर्ता के कारण, ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर (ओपीपी) इकट्ठा करने में लोन बंद होने की तिथि से तीस (30) दिनों से अधिक, लेंडर तीस (30) दिनों से अधिक के संरक्षण के लिए कस्टडी शुल्क लगा सकता है.
38. उधारकर्ता किसी भी थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की गई डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सुविधाओं के माध्यम से निष्पादन के शुल्क सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, लोन एप्रीमेंट और किसी भी संबंधित डॉक्यूमेंट के निष्पादन के संबंध में लेंडर द्वारा किए गए सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. लेंडर अग्रिम कटौती, प्रोसेसिंग फीस में शामिल होने या लेंडर द्वारा निर्धारित अलग शुल्क के रूप में उधारकर्ता से ऐसे शुल्कों को रिकवर करने का हकदार होगा. शुल्क वास्तविक आधार पर या ऐसे निष्पादन की तिथि पर लागू शुल्क विवरण में निर्दिष्ट के अनुसार लगाए जाएंगे.
39. इस पत्र की हस्ताक्षरित प्रति गृहम को उपर्युक्त और ओवरलीफ के नियमों और शर्तों की सैंक्शन के रूप में दी जानी चाहिए.
40. गृहम के पास एक या अधिक उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता/लोन सुविधा/लोन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित आवास वित्त कंपनियों (इस मंजूरी पत्र में "सह-लेंडर" कहा जाता है) के साथ सहयोग/सह-उधार व्यवस्था करने का अधिकार है. इस मंजूरी पत्र पर हस्ताक्षर करके, आप, उधारकर्ता, स्वीकार करते हैं कि आपके लोन का एक भाग ऐसे सह-लेंडर द्वारा, गृहम और ऐसे सह-लेंडर के बीच लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सह-उधार व्यवस्था के भाग के रूप में वित्तपोषित किया जा सकता है. सैंक्शन लेटर की सैंक्शन द्वारा, आप ऐसे सह-लेंडर को अपने लोन के किसी भाग के निर्धारण/अंतरण को स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं जो लोन करार में निर्धारित सभी संबंधित नियमों और शर्तों के डॉक्यूमेंट के अधीन होंगे.
41. इन शर्तों को स्वीकार करने से लोन की शर्तों के बारे में आपकी समझ और समझौते की पुष्टि होती है, जिसमें सह-उधार देने वाली साझेदारी और असाइनमेंट प्रक्रिया भी शामिल है. यह लोन प्रशासन, सेवा और पुनर्भुगतान से संबंधित मामलों में गृहम और सह-लेंडर दोनों के साथ सहयोग करने की आपकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है.
42. लागू ब्याज दर/शुल्क से संबंधित किसी भी प्रश्न या किसी अन्य समस्या के बारे में किसी भी जानकारी के लिए, कृपया गृहम की वेबसाइट या उसकी नज़दीकी ब्रांच में जाएं या हमारी ग्राहक केयर ईमेल आईडी customercare@griumphousing.com पर हमसे संपर्क करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-266-3204 पर कॉल करें.

Grihum Housing Finance Limited

CIN: U65922PN2004PLC208751 | ☎ 020 - 67815500 | ✉ Info@griumphousing.com

Registered Office: 6th Floor, B-Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune – 411014

www.griumphousing.com



GRIHUM
HOUSING FINANCE

Apna Ghar. Apni Pehchan.



Grihum Housing Finance Limited

CIN: U65922PN2004PLC208751 | 📞 020 - 67815500 | ✉ Info@grihumhousing.com

Registered Office: 6th Floor, B-Building, Ganga Trueno, Lohegaon, Pune – 411014

🌐 www.grihumhousing.com